मां–बाप और पड़ौसी के हुकूक

32

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम वाला है।
सब तअरीफ़ें अल्लाह तआला के लिए हैं। हम उसी का शुक्र अदा करते हैं और उसी से मदद और माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल. पर, आप की आल व औलाद और असहाब रज़ि पर। व बअद!

मां–बाप जो किसी भी इन्सान के लिए दुनिया में आने का ज़रिया हैं और पड़ौसी जिनके इर्द–गिर्द और साथ में इन्सान की ज़िन्दगी गुज़रती है, इन सब के अल्लाह ने हम पर हक रखे हैं। जिनका अदा करना हमारे लिये जरुरी भी है और दुनिया और आखिरत में फायदेमंद भी। इस बारे में इर्शादे बारी तआला है–

(1) ''अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और वाल्देन के साथ नेक सुलूक करो। साथ ही रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, रिश्तेदार पड़ौसी या दूर के पड़ौसी, साथ उठने–बैठने वालों (दोस्तों) मुसाफिरों और अपने ममलूक (गुलाम–बादियों) के साथ अच्छा बर्ताव करो।'' (सूरह निसा–आयत–36)

(2) ''हमने इन्सान को अपने वाल्दैन (मां–बाप) के साथ एहसान करने की ताकीद की है।'' (अन्कबूत–आयत–8)

(3) ''तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ एक रब की करो और मां–बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर उनमें से एक या दोंनों ही तुम्हारी मौजूदगी में बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ (ऊंह तक) मत कहो और न उन्हें डांटो। हमेशा उनसे अदब से बात करो और उनके सामने आज़िजी के बाजू झुका दो। उनके लिये (यह दुआ) करो– 'ऐ रब! इन पर रहम फरमा। जिस तरह बचपन में इन्होंने प्यार व मुहब्बत से मुझे पाला।'' (इस्रा– आयत– 23–24)

(4) ''हमने ताकीद की इन्सान को उसके मां–बाप के बारे में। उसकी मां ने पेट में रखा उसे थक थक कर और दूध छुड़ाना है उसका दो साल में। हक मान मेरा और अपने वाल्दैन का।'' (लुकमान–आयत–14)

इसी तरह इन रिश्तों की एहमियत पर अल्लाह के रसूल सल्ल. ने भी बहुत ज़ोर दिया। इस बारे में आप सल्ल. के कुछ इर्शादात यह हैं– (1) ''अल्लाह तआला को जो आमाल ज्यादा पसन्द हैं वो हैं– अपने वक्त पर नमाज़ पढ़ना, मां–बाप के साथ नेकी करना और अल्लाह की राह में जिहाद करना।'' (बुखारी–527, मुस्लिम–112,115–इब्ने मसऊद रज़ि.)

(2) ''कोई औलाद अपने वालिद के एहसान का बदला नही चुका सकती। मगर यह कि वह उसे गुलाम पाए और उसे खरीदकर आज़ाद कर दे।'' (मुस्लिम–2801, अबूदाऊद–5137–अबुहुरैरा रज़ि.)

(3) एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्ल. की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है?तो आप सल्ल. ने फरमाया ''तुम्हारी मां''। उस शख्स ने कहा फिर कौन?आप सल्ल. ने फरमाया ''तुम्हारी मां''। उसने फिर पूछा कि उसके बाद कौन?तो आप सल्ल. ने फरमाया ''तुम्हारा बाप''। एक और रिवायत में है कि आप सल्ल. ने फरमाया ''तुम्हारी मां, फिर तुम्हारी मां, फिर तुम्हारी मां और फिर तुम्हारा बाप। इसके बाद जो तुमसे सबसे ज्यादा करीब हो।'' (बुखारी–5971, मुस्लिम–6750,6751–रावी–अबूहुरैरा रज़ि.) इस हदीसे पाक की

रोशनी में मां का जितना एहतराम किया जाए और जितनी खिदमत की जाए कम है इसलिए कि मां का दर्जा बाप के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है। मगर अफसोस! समाज में अक्सर लोग बाप से तो डरते हैं। उसे पलट कर जवाब भी नहीं देते लेकिन मां के साथ जबान दराजी पर उतर आते हैं।

(4) ''नाक खाक आलूद हो (नाक मिट्टी में मिल जाए) फिर नाक खाक आलूद हो और फिर नाक खाक आलूद हो उस शख्स की जिसने बुढ़ापे में अपने वाल्दैन को पाया। उनमें से एक को या दोनों को फिर (भी उनकी खिदमत करके) जन्नत में नहीं गया।'' (मुस्लिम–6759–अबुहुरैरा रज़ि.)

(5) एक आदमी ने नबी सल्ल. के पास आकर अर्ज़ किया कि मैं आप सल्ल. से हिज़रत और जिहाद पर बैअत करता हुँ और अल्लाह से इसका अज्र (सवाब) चाहता हुँ। आप सल्ल. ने उससे पूछा ''तेरे मां–बाप में से कोई ज़िन्दा है?'' उसने जवाब दिया हाँ। बल्कि दोंनों ही (जिन्दा हैं)। आप सल्ल. ने उससे फरमाया ''क्या तू (वाकई) अल्लाह से अज्र चाहता है?'' उसने कहा जी हाँ। तो आप सल्ल. ने उससे कहा ''फिर तू अपने वाल्दैन के पास लौट जा और उनकी अच्छी तरह खिदमत कर।'' (बुखारी–3004,5972–मुस्लिम–6756–अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि.)

यहाँ आप सल्ल. ने मां–बाप की खिदमत करने का अज्र व सवाब हिजरत व जिहाद की तरह करार दिया।

(6) अस्मा बिन्ते अबि बकर सिद्दीक रज़ि. का बयान है कि मेरी मां जबकि वह अभी मुश्रिका थी। सुलह हुदैबिया के दौरान मेरे पास आई। मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल. से पूछा कि मेरी मां मेरे पास आई है और मुझसे हुस्ने सुलूक चाहती है। क्या मैं (उनकी ख्वाहिश के मुताबिक) अपनी मां के साथ सिला रहमी (अच्छा बर्ताव) करुं?तो आप सल्ल. ने फरमाया ''हां! तुम अपनी मां के साथ अच्छा सुलूक करो।'' (बुखारी–2620,5978–मुस्लिम–1702)

(7) इब्ने उमर रज़ि बयान करते हैं कि मेरे निकाह में एक औरत थी। जिससे मैं मुहब्बत करता था। (लेकिन मेरे वालिद) हज़रत उमर रज़ि. उसे ना पसन्द करते थे। चुनांचे उन्होंने मुझसे कहा इसे तलाक दे दे। मैंने इसका इन्कार किया। पस उमर रज़ि. नबी सल्ल. के पास गये और उनसे इस बात का ज़िक्र किया तो आप सल्ल. ने मुझसे फरमाया ''इसे तलाक दे दे।'' (अबुदाउद–5138, इब्नेमाजा–2088, तिर्मिज़ी–1054–(हसन–सही))

(8) अबुदर्दा रज़ि. का बयान है कि एक आदमी ने मेरे पास आकर जिक्र किया कि मेरी एक बीवी है और मेरी मां उसे तलाक देने का हुक्म देती है। (मैं क्या करुँ?) तो मैने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल. को फरमाते हुऐ सुना है कि ''वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। पस अगर तू चाहे तो उस दरवाज़े को ज़ाया कर दे या उसकी हिफाज़त कर।'' (तिर्मिजी–1718–जिल्द 1 सफा 686– हसन–सही) (वालिद के लगवी मानी हैं जनने वाला। इस तरह से इसका इतलाक़ मां और बाप दोंनों पर होता है। इसके अलावा यह कि वाल्दैन का हुक्में तलाक अगर दीनी व अखलाकी बातों पर हो तो उनका कहा मानना जरुरी है और अगर वजह कुछ ओर हों जैसे नाराजगी या ना पसन्दगी वगैरह तो यह हुक्म मानना जरुरी नहीं। बल्कि वाल्दैन को अदब व एहतराम से समझाया जाये ताकि वह भी राज़ी हों जाएं और यूं ही किसी औरत (बीवी) की ज़िन्दगी बर्बाद न हो।)

(9) अबुबकराह नफीअ बिन हारिस रज़ि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों की खबर न दूं?'' तीन दफा आप सल्ल. ने यह फरमाया। हमने कहा क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्ल.! (ज़रुर बताइये) तो आप सल्ल. ने फरमाया ''अल्लाह का शरीक ठहराना, मां–बाप की ना फरमानी करना।'' अब तक आप सल्ल. टेक लगाये हुए थे। फिर (सीधे होकर) बैठ गये और कहा ''सुनो! झूठी बात कहना और झूठी गवाही देना।'' फिर आप सल्ल. इस बात को दुहराते रहे

यहां तक कि हमने कहा! काश आप सल्ल. खामोश हो जाएं। (बुखारी–2654, मुस्लिम–118)

(10) अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि. से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''कबीरा गुनाह ये हैं– अल्लाह के साथ शिर्क करना, मां–बाप की ना फरमानी करना, ना हक किसी का कत्ल करना या खुदकुशी करना और झूठी कसम खाना।'' (बुखारी–6675) (कबीरा (बड़े) गुनाह यूं तो और भी बहुत हैं। यहां मौके की मुनासिबत से सिर्फ इन कुछ का ज़िक्र किया है या मकसद यह बताना है कि बड़े गुनाहों में भी यह ज्यादा खतरनाक गुनाह हैं।)

(11) अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि. ही से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''कबीरा गुनाहों में से एक यह भी है कि आदमी अपने वाल्दैन को लअनत करे (गाली दे)'' सहाबा ने अर्ज़ किया कि क्या आदमी अपने मां–बाप को गाली भी देता है? आप सल्ल. ने फरमाया ''हां! एक शख्स किसी के बाप को गाली देता है और वह पलटकर उसके बाप को गाली देता है। (इसी तरह) वह किसी की मां को गाली देता है और दूसरा जवाब में उसकी मां को गाली देता है।'' (इस तरह वह अपने मां–बाप को गाली देने की वजह बना) (बुखारी–5973, मुस्लिम–122)

(12) मुगीरा बिन शोअबा रज़ि. का बयान है कि नबी सल्ल. ने फरमाया ''बेशक! अल्लाह ने तुम्हारी मां ओं की ना फरमानी करने, जरुरत के वक्त खर्च न करने, बिना जरुरत सवाल करने (मांगने) और लड़कियों को जिन्दा दफ्न करने को हराम किया है। साथ ही फिजूल बहस और बात–चीत को, कसरते सवाल को और माल के ज़ाया करने (फ़िज़ूल खर्ची) को तुम्हारे लिये ना पसन्द किया है। (बुखारी–5975, मुस्लिम–3310)

(13) अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''सबसे बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने मां–बाप के दोस्तों से तअल्लुकात जोड़कर रखे।'' (यानि बाप की मुहब्बत और दोस्ती को निभाए) (मुस्लिम–6763)

(14) मालिक बिन रबीआ सअदी राजि. का बयान है कि एक दफा हम रसूल सल्ल. के साथ बैठे हुए थे कि बनी सल्मा का एक आदमी आप सल्ल. के पास हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल.! क्या कोई ऐसी नेकी भी बाकी है जो मैं अपने वाल्दैन की वफ़ात के बाद उनके साथ करूं?आप सल्ल. ने फ़रमाया '' हां! उनके हक़ में दुआ ए मग्फिरत करना, उनके बाद उनके किये वादों को पूरा करना, उनके उन रिश्तों को जोड़ना जो उन्हीं की वजह से जोड़े जाते है और उनके दोस्तों की इज्ज़त करना।'' (अबु दाऊद–5142 – इब्ने माजा –3664– हसन)

(अगर कोई अपने वाल्दैन के साथ उनकी वफ़ात के बाद भलाई करना चाहे तो उन्हीं तरीकों को इख्तियार करे जो आप सल्ल. ने बतलाए हैं और इन तरीकों में कुरआन ख़्वानी,तीजा,सातवां, दसवां, चहलम और बर्सी वग़ैरह का कोई जिक्र नहीं)

(15) जाहमा रजि. ने नबी सल्ल. के पास आकर अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल! मैं जिहाद करना चाहता हूँ और आप सल्ल. से मशवरा लेने आया हूँ। आप सल्ल. ने फ़रमाया '' क्या तुम्हारी मां (ज़िन्दा) है? जहमा रजि. ने कहा हां! तो आप सल्ल. ने फ़रमाया '' मां की ख़िदमत में लगे रहो क्योंकि उस (मां) के क़दमों के पास (नीचे) जन्नत है।'' (इब्ने माजा– 2781–नसाई–.................................सही)

(16) अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजि. ने बयान किया कि एक आदमी ने आप सल्ल. के पास आकर अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल! मैने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है।

क्या मेरी तौबा की कबूलियत का कोई रास्ता है?तो आप सल्ल. ने फ़रमाया '' क्या तुम्हारी मां (ज़िन्दा) है?उसने कहा नहीं । आप सल्ल. ने फिर पूछा क्या तुम्हारी खाला है?उसने कहा हां है। तो आप सल्ल. नें फ़रमाया '' उसी के साथ नेकी करो।'' (तिर्मिज़ी...सही)

(17) अल्लाह के रसूल सल्ल. का फ़रमान है '' अल्लाह तआला की रजा मन्दी

वाल्दैन की रज़ा मन्दी में है और अल्लाह की नाराज़गी मां–बाप की नाराज़गी में है।'' (बज़ार– सही तर्गीब व तर्हीब (अलबानी)–2503)

(18) '' जिस शख्स को यह बात अच्छी लगती हो कि उसकी उम्र में बरकत हो और रिज्क़ में इज़ाफ़ा कर दिया जाए तो उसे चाहिये कि वाल्दैन के साथ अच्छा बर्ताव करे और अपने रिश्ते दारों के साथ सिला रहमी करे।''
(मुसनद अहमद–सही तर्ग़ीब व तर्हीब (अलबानी)–2488)

(19) '' कयामत के दिन अल्लाह तआला तीन किस्म के लोगों की तरफ़ देखना भी पसन्द नहीं करेगा – उनमें से एक वाल्दैन का नाफ़रमान है। इसी तरह तीन किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होगें उनमें से एक वाल्दैन का नाफ़रमान और उन्हें तक्लीफें देने वाला है।'' (बजार–नसाई– तर्गीब व तर्हीब (अलबानी)– 2511)

(20) अबु हुरैरा रज़ि. का बयान है कि एक दफा आप सल्ल. जब मिम्बर पर चढ़े तो आपने तीन बार आमीन कहा। फिर आप सल्ल. ने फरमाया ''मेरे पास जिब्रील अलैहि. आए और उन्होंने आकर कहा– ऐ मुहम्मद सल्ल. ! जो शख्स अपने वाल्दैन या उनमें से किसी एक को पाये। (फिर उनसे नैक सुलूक ना करे) और वह मर जाए और जहन्नम में चला जाए। (यानि) अल्लाह अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। आप कहिये – आमीन! तो मैंने आमीन कहा।'' (इब्ने हुब्बान–सही तर्गीब व तरहीब–2491)

(21) अम्र बिन मुर्राह अल जहनी रज़ि. से रिवायत है कि एक शख्स ने आप सल्ल. की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल.! मैं गवाही देता हुँ कि अल्लाह के सिवाए कोई मअबूदे बरहक नही और आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं (रोज़ाना) पाँच नमाज़ें पढ़ुंगा। अपने माल की ज़कात अदा करुंगा और रमज़ान के रोज़े रखूंगा तो आप सल्ल. ने फरमाया– ''जिस शख्स की मौत इस हालत पर आयेगी वह कयामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा बशर्ते की उसने वाल्दैन की नाफरमानी और उनसे बदसुलूकी न की हो।'' (सही इब्ने खज़ैमा, इब्ने हुब्बान, तर्गीब व तर्हीब) (अलबानी–2515)

पड़ोसी के हुक़ूक

(1) इज्जत – ईमाने कामिल की निशानियों मे से एक यह भी है कि पडौसी की इज्जत की जाए। वह अगर बीमार पडे तो उसकी अयादत की जाए। अगर किसी मजबूरी में वह क़र्ज मांगे तो उसे क़र्ज दिया जाए या उसकी माली (आर्थिक) मदद की जाए। इसलिए कि फ़रमाने रसूल सल्ल. है '' जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है । वह अपने पड़ौसी को तक्लीफ न पहुंचाए और अच्छी बात कहें वरना खामोश रहे।'' (बुखारी–6018 – मुस्लिम–062–अबुहुरैरा रजि. और अबुशरीह रजि.)

(2) बेहतर पडौसी – अच्छा पड़ौसी वह होता है जो अपने पडौसी से भलाई और एहसान का बर्ताव करता है और अगर ऐसा न कर सके तो पडौसी को नुक्सान और तक्लीफ़ न दे। इसलिए कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया '' अल्लाह के नजदीक बेहतर दोस्त वह है जो अपने दोस्त के लिए अच्छा हो और बेहतर पडौसी वह है जो अपने पडौसी के लिए अच्छा हो।'' (तिर्मिजी–1761 –मुसनद अहमद–अब्दुल्लाह बिन अम्र रजि. –हसन)

(3) जिब्रील अलैहि. की ताकीद–पड़ौसी से जब मुलाकात हो तो उसे सलाम किया जाए, मुस्कुरा कर उससे बात की जाए, कभी कभी उसे तोहफा भी दिया जाए। इसलिए की नबी सल्ल. ने फरमाया ''पड़ौसी के बारे में जिब्रील अलैहि. मुझे बार बार वसीयत (ताकीद) करते रहे। यहां तक कि मैंने ख्याल किया कि वह एक पड़ौसी को दूसरे पड़ौसी का वारिस करार दे देंगें।'' (बुखारी–6014,6015, मुस्लिम–6922– आएशा रज़ि. और इब्ने उमर रज़ि.)

(4) पसन्द– ऐसा शख्स कमजोर ईमान वाला होता है जो दीन की नैमतों और दुनिया की भलाईयों को अपने लिये तो पसन्द करता है और उनसे फायदा उठाता है लेकिन अपने पड़ौसी को उससे महरुम रखता है। इसलिए कि नबी सल्ल. ने फरमाया ''कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कोई शख्स मोमिन (ईमान वाला) नही हो

सकता जब तक वह अपने पड़ौसी के लिए वही बात (चीज़) पसन्द न करे जो अपने लिए पसन्द करता है।'' (मुस्लिम–57,58–अनस रज़ि.)

(5) तोहफे का हकदार कौन?– पड़ौसी को तोहफा देना अच्छी बात है। लेकिन चूंकि पड़ौसी बहुत होते हैं और हर कोई सबके यहां तो तोहफा भेज नहीं सकता। इस बारे में जब आएशा रज़ि. ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल.! मेरे दो पडौसी हैं। उनमें से किसके यहां तोहफा भेजूं? तो आप सल्ल. ने फरमाया ''जिस पडौसी के घर का दरवाज़ा तेरे घर के दरवाज़े से ज़्यादा करीब हो।'' (बुखारी–6020)

(6) तोहफों का लेन–देन– हर किसी को अपनी हैसियत के मुताबिक पड़ौसी के यहां हदया भेजना चाहिये चाहे वह मामूली ही क्यों न हो। इसी तरह पड़ौसी के यहां से आए मामूली हदये को भी हकीर नहीं समझना चाहिये। तोहफो के लेन–देन से आपसी खुशगवारी पैदा होती है। इस बारे में नबी सल्ल. का इर्शाद है ''मुस्लिम औरतें पड़ौसन पड़ौसन के लिए हदया भेजने को हकीर (तुच्छ) न जानें। चाहे वह बकरी का एक खुर (पाया) ही क्यों न हो।'' (बुखारी–6017–अबुहुरैरा रज़ि.)

(7) खबर गीरी– पड़ौसी की खबर गीरी से मुराद यह है कि अगर उसके घर में सालन न पका हो तो उसके यहां कुछ सालन भेज दिया जाए। खुश्क मिजाजी और रुखापन एक बुरा अमल है और यह भी कि खाने के वक्त अपने गरीब पड़ौसी को नजर अन्दाज़ कर दें और कभी भी खाने–पीने की कोई चीज़ उसे न दें। इसलिए कि अबुज़र गफारी रज़ि का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने मुझसे फरमाया–''अबुज़र! जब तू शोरबे वाला सालन पकाने लगे तो उसका पानी ज्यादा कर दे और अपने पड़ौसियों की खबर गीरी कर।'' (मुस्लिम–6925,6926)

(8) मोमिन का पड़ोसी– जो शख्स यह जानता हो कि उसका पड़ोसी भूखा है। फिर वह उसे खाना न खिलाये और खुद पेट भर कर खाना खा ले। न सिर्फ यह कि ऐसा शख्स पत्थर दिल है बल्कि ऐसे शख्स का ईमान भी नाकिस व कमजोर है। इस तरह की जिसारत से बचना चाहिये। इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ि. बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''वह शख्स (मर्द हो या औरत) मोमिन नही है जो खुद पेट भर कर खाये और उसके पड़ौस में उसका हमसाया भूखा रह जाए। (मिश्कात–4772, बैहकी)

(9) सताना या तकलीफ देना– अल्लाह पर ईमान रखने वाला शख्स शर पसन्द नहीं होता। वह अपने पड़ौसी को तकलीफ भी नही देता। पड़ौसी पर जुल्म भी नहीं करता। उस पर बुहतान नहीं लगाता। उसकी इज्ज़त व आबरु पर हमला नही करता। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम पड़ौसी भी उसकी शराफत, अमानत और अखलाक पर भरोसा करते हैं। जो शख्स अपनी शरारतों से पड़ौसी को परेशान करता हो और अपने जुल्म व ज्यादती के सबब उसका चैन व सुकून छीन लेता हो वह हकीकत में ईमान वाला नहीं है। इसलिए की अबि शरीह रज़ि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''अल्लाह की कसम! वह मोमिन नही है, अल्लाह की कसम! वह मोमिन नही है, अल्लाह की कसम! वह मोमिन नही है जिसके शर से उसका पड़ौसी अमन में न हो, वह जन्नत में नहीं जायेगा।'' (मुस्लिम–61)

(10) ज़ुबान दराज़ी व बद अखलाकी– पड़ौसियों के साथ बदज़ुबानी करना, उनके साथ गाली–गलोच करना एक बड़ा अखलाकी जुर्म है। जिसकी सज़ा जहन्नम है। चाहे ऐसे लोग कसरत से इबादत करते हों। इसलिए कि अबु हुरैरा रज़ि. का बयान है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल.! फलां औरत के बारे में बयान किया जाता है कि वह बहुत (तादाद में) नमाज़ पढ़ती है, बहुत रोज़े रखती है और बहुत सारा सदका करती है लेकिन वह अपने पड़ौसियों को अपनी ज़ुबान से तक्लीफ पहुंचाती है तो आप सल्ल. ने फरमाया ''वह औरत दौज़ख में जायेगी।'' उस आदमी ने फिर अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल.! फलां औरत के बारे में बयान किया जाता है कि वह (फराइज़ के अलावा) थोड़े रोज़े रखती है, थोड़ी नमाज़ पढ़ती है। सदका भी कम करती है। पनीर के कुछ टुकड़े ही सदका करती है लेकिन पड़ोसियों

को अपनी जुबान से तक्लीफ नही पहुंचाती तो आप सल्ल. ने फरमाया '' वह जन्नत में जायेगी।'' (मिश्कात–4773, बैहकी, मुसनद अहमद)

(11) घर की दीवार– मकान की तामीर के दौरान पड़ौसियों में तकरार या झगड़ा हो जाना आम बात है और वह भी छोटी–छोटी बातों को लेकर। खास कर ऐसी जगह जहां दीवार से दूसरे की दीवार सटी हो। जबकि इस बारे में अबु हुरैरा रज़ि. से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''तुम में से कोई शख्स अपनी दीवार में पड़ौसी को लकड़ी गाड़ने से न रोके।'' (बुखारी–2463, मुस्लिम–..........)

(वाजेह रहे कि इस बारे में अइम्मा किराम की दो राय है। हनफिया के नज़दीक ज़रुरत पड़ने पर पड़ौसी से इज़ाजत लेकर उसकी दीवार में लकड़ी गाड़ी जा सकती है यानि पड़ौसी की दीवार पर लकड़ी रख सकता है। दीवार के मालिक को भी चाहिये कि वह अपने पड़ौसी को इससे फायदा उठाने दे और अल्लाह से अज्र पाये। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रह. की राय में पड़ौसी की दीवार में लकड़ी गाड़ने का हक है चाहे दीवार का मालिक इसकी इजाजत न दे। (इसलिये कि ऐसा ही आप सल्ल. का हुक्म है।) (तर्जुमान उल हदीस–जिल्द–2 सफा–378 (मेहमूदुल हसन रह.))

(12) ज़ालिम पड़ौसी– अगर किसी शख्स ने अपने पड़ौसी को सताया, उसे तकलीफ दी या उस पर कोई जुल्म किया या उसका हक मारा या उसका हक अदा नही किया तो ऐसे शख्स को अपने किये की कयामत के दिन सज़ा भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये। इसलिये कि उकबा बिन आमिर रज़ि. ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''कयामत के दिन जिन दो झगड़ा करने वालों का मुकदमा सबसे पहले पैश होगा, वह दो पड़ौसी होंगें।'' (मिश्कात–4780–मुनसद अहमद)

(13) पड़ौसी की राय– किसी भी शख्स के बारे में उसके पड़ौसियों की राय बहुत अहमियत रखाती है क्योंकि वही दूसरे लोगो के मुकाबले उसे ज्यादा जानते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ि. बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्ल. से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल.! जब मैं नैकी करुं तो मुझे कैसे मालूम हो कि मैंने नेकी की है?या जब मैं बुराई करुं तो मुझे कैसे मालूम हो?(कि मैंने बुराई की है) तो (यह सुनकर) अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''जब तू अपने पड़ौसियों को यह कहते सुने कि तूने नेकी की है तो बेशक तूने नेकी की है और जब तू उनको यह कहते सूने कि तूने बुराई की है (यानि गलत किया है) तो बेशक तूने बुराई की है।'' (मिश्कात–4769)

(14) आपसी कलह को तूल न देना– पड़ौसी होने के नाते कभी बच्चों को लेकर तो कभी किसी और मामूली वजह से आपस में तकरार हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो इस नाराज़गी को तूल देना जाइज नही। अलबत्ता नाराजगी या झगड़े की वजह दीनी हो तो बात अलग है। अबु अय्युब अन्सारी रज़ि. फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''किसी मुसलमान के लिये यह हलाल नही है कि वह अपने भाई (दीनी) से तीन रोज से ज्यादा तअल्लुकात तोड़े रखे। जब दोनों का आमना सामना हो तो यह अपना मुंह इधर कर ले और वह उधर कर ले। दोनो में बेहतर वह है जो सलाम करने में पहल करे।'' (बुखारी–6237, मुस्लिम–6779)

अल्लाह तआला हम सभी को वाल्दैन और पड़ौसियों का एहतेराम करने, उनके साथ खुशगवार तअल्लुक रखने और उनके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाये। हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ कर दे।

आमीन या रब्बल आलमीन

आपका दीनी भाई
मुहम्मद सईद
Email: saeed.tonk@gmail.com
मो.09887239649, 09214836639